राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांकः-- प0 8 (29) शिक्षा--5 / 04 पार्ट-- II . जयपुर,दिनांक 1 - 2-

1. आयुक्त,
   कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
2. निदेशक,
   माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. निदेशक,
   प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
4. निदेशक,
   संस्कृत शिक्षा, जयपुर।
5. निदेशक,
   तकनीकी शिक्षा, उदयपुर।

CAO (अनुदान) आदेश 1/2/11

Urgent AAO (अनु) 01/2/11

विषयः-- राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के प्रवृत्त होने के संबंध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के उपबंध 1 फरवरी, 2011 से प्रवृत्त हो गये है। इन नियमों के नियम--4 के उपबंधों के तहत गैर सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के ऐसे नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी जो इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को स्वीकृत ओर सहायता प्राप्त पद के प्रति कार्यरत है और जो राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के अधीन इन नियमों में उल्लेखित निबन्धनों और शर्तो के अनुसार नियुक्त किये जाने की वांछा करते है, इन नियमों के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 15 दिवस में संबंधित संस्था के सचिव को, प्रारूप--I में आवेदन, उसमें अपनी सेवा की विशिष्टियों का उल्लेख करते हुये संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को एक अग्रिम प्रति के साथ प्रस्तुत करेंगे। संस्था का सचिव सेवा की विशिष्टियों के सत्यापन के पश्चात् संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को आवेदन की प्राप्ति के अन्तिम तारीख से 10 दिन के भीतर कर्मचारी के सम्पूर्ण सेवा अभिलेख के साथ आवेदन अग्रेषित करेगा। तत्पश्चात् कर्मचारियों की उपयुक्तता का न्यायनिर्णयन नियमों में उल्लेखित स्क्रीनिंग समिति द्वारा किया जाकर संबंधित नियुक्ति अधिकारी को नाम नियुक्ति के लिए अग्रेषित किये जावेगें। सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाई सुनिश्चित करने हेतु समुचित निर्देश तुरन्त जारी करें।

उपरोक्त नियमों की प्रति कार्मिक विभाग की वेबसाईड http://www.dop.rajasthan.gov.in/main/subcircatg_rep.asp?selval=1&subcatg=6 से डॉउनलोड कर प्राप्त की जावें एवं नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अविलम्ब इन कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करवाई जावे।

प्रमुख शासन सचिव,शिक्षा

कार्यालय आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः--शिविरा--माध्य / अनु / समायोजन / 2010--11 / दिनांकः--01.02.2011

समस्त उपनिदेशक एवं जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा को मूल पत्र प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चत करे।

उप निदेशक (मा० शि०) ....

जिला शिक्षा अधिकारी (मा० शि०) ....

मुख्य लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

570

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग,

अधिसूचना

क्रमांक प. 5(2) कार्मिक/क–2/10 दिनांक 25.01.2011

राज्य सरकार राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के नियम 1 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1 फरवरी 2011 को उस तारीख के रूप में नियत करती हैं जिसको उक्त नियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

उप शासन सचिव

3/2011

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

सं. 5 (2) कार्मिक/क-2/10 जयपुर, दिनांक : 29.11.2010

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति और सेवा की अन्य शर्तों को विनियमित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.**– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 है।

(2) ये ऐसी तारीख से, जो सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**– जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में,–

(क) "सहायता" से राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्था को मंजूर की गयी कोई सहायता अभिप्रेत है ;

(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" से, इन नियमों के अधीन विभिन्न पदों के संबंध में, अनुसूची के स्तम्भ 5 में विनिर्दिष्ट विभिन्न पदों, जिनसे नियुक्ति की जानी है, के लिए निम्नलिखित सेवा नियमों के अधीन विहित नियुक्ति प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(i) राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970;

(ii) राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971;

(iii) राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986;

39/2010

(iv) राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1979;

(v) राजस्थान संस्कृत शिक्षा सेवा नियम, 1977;

(vi) राजस्थान संस्कृत शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1978 ;

(vii) राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999;

(viii) राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1999 ;

(ix) राजस्थान तकनीकी शिक्षा (अभियांत्रिकी) सेवा नियम, 2010 ;

(x) राजस्थान तकनीकी शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1973;

(ग) "बोर्ड" से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अभिप्रेत है और इसमें काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इग्जैमिनेशन सम्मिलित है ;

(घ) "आयोग" से राजस्थान लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है ;

(ङ) "संबंधित प्राधिकारी" से खण्ड 2 (च) में यथा परिभाषित शिक्षा निदेशक और विद्यालय शिक्षा के मामले में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी अभिप्रेत है ;

(च) "शिक्षा निदेशक" से,–

(i) स्नातक और स्नातकोत्तर महाविद्यालयों तथा संस्कृत और तकनीकी शिक्षा की संस्थाओं से भिन्न समान या उच्च अध्ययन की शैक्षिक संस्थाओं के मामले में आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान अभिप्रेत है ;

(ii) संस्कृत शिक्षा की संस्थाओं के संबंध में निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान अभिप्रेत है ;

(iii) तकनीकी शिक्षा की संस्थाओं के संबंध में निदेशक, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान अभिप्रेत है ; और

(iv) उपर्युक्त उप-खण्ड (i), (ii) और (iii) में निर्दिष्ट से भिन्न विद्यालयों और संस्थाओं के संबंध में, निदेशक, प्राथमिक शिक्षा,